संख्या- 31011/1/95-स्था० (क)

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28.4.1995

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्राप्त करते हुए हवाई जहाज द्वारा की जाने वाली यात्रा को विनियमित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

केन्द्रीय सिविल सेवायें (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12(3) के प्रावधानानुसार हवाई यात्रा की अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जहां दो स्थान रेलमार्ग से नहीं जुड़े हैं, जहां यात्रा का कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है या मंहगा है । सरकारी कर्मचारी जो रेलमार्ग से जुड़े स्थानों की हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं, के छुट्टी यात्रा रियायतों के दावों को विनियमित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए हमारे पास काफी संख्या में पत्र आए हैं ।

2. इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा रेल मार्ग से जुड़े स्थानों की हवाई मार्ग से यात्रा करने की स्थिति में किराये की प्रतिपूर्ति राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर उस कर्मचारी द्वारा रेलमार्ग की हकदारी की श्रेणी में की जायेगी ।

3. तथापि प्राइवेट एयरलाइन्स द्वारा की गई यात्राओं पर ये प्रावधान लागू नहीं होते ।

क मेनन

(कृष्णन मेनन)
उपसचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अतिरिक्त प्रतियों के साथ)

संख्या- 31011/1/95- स्था०(क) नई दिल्ली, दिनांक 28.4.1995
प्रतियां, अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचना के लिए निम्न को प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
5. भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद ।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ।
7. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०)

....2/-

8• कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

9• सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

Dept. of Personnel & Training
APR 1995
Signature

कृ मेनन

(कृष्णन मेनन)
उपसचिव, भारत सरकार